राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **79 / 2023**
GCMS No.2023/178

सन्तोष देवी पत्नी मुरारीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.

.... प्रार्थीया

ब–ना–म

1. रणमल पुत्र मेदाराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
2. राजू पुत्र मातुराम
3. झब्बू पुत्र मातुराम
4. लाली पुत्री मातुराम
   जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोराना तन तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
5. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता
अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित वकील प्रार्थीया – श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

:: निर्णय :: **दिनांक** 16.10.2025

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 382 के ख.नं. 1184 रकबा 1.59 है. भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है। वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 279 में दर्ज ख.नं. 1182 रकबा 1.24 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 व ख्याली पुत्री ख्याली संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार अप्रार्थी ख्याली का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिशान अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1184 में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए मात्र एक रास्ता राजकीय भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.30 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

स्थित प्रचलित रासते के दक्षिण दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1182 की पश्चिमी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता कदीम से आता जाता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। प्रार्थीया का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है जो 12 फुट चौड़ा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 1184 तक पहुंचने के लिए मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त रास्ता कटान में नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 रास्ते को काश्त कर देते हैं व अवरोध कर देते है जिससे प्रार्थीया को अपने खेत में आने जाने व साधन लाने व ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीया को कानून के अनुसार ख.नं. 1182 की पश्चिमी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के लिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251–क के अनुसार प्रतिकर देने के लिए एवं भूमि के बदले भूमि भी देने का निवेनन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 इंकार हो गये। इसलिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थीया इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 382 के ख.नं. 1184 रकबा 1.59 है. में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1182 रकबा 1.24 है. की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम कया जावे व उक्त रकबा के लिये धरा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 बावजूद [illegible] सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया, अतः जवाब अवसर अप्रार्थी सं. 1 बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.30 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 6 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की बिन्दुवार रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2023/474 दिनांक 18.07.2023 से प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है कि :–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम और लघुत्तम है।
4. प्रस्तावित रास्ता राजस्व ग्राम ताल स्थित ख.नं. 1182 में दक्षिणी पश्चिम कौने से ख.नं. 1184 के उत्तरी कौने तक रास्ते की लम्बाई 40x4= 160 वर्गमीटर बनती है।
5. राजस्व ग्राम ताल की डी.एल.सी. दर 1210942 रूपये प्रति है0 है। ख.नं. 1182 में रास्ते की 160 वर्गमीटर क्षेत्रफल की डीएलसी दर 19375/– रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 38750/– रूपये बनती है।

उक्त रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह की मूल मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न कर भिजवाये हैं जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह की मौका जांच रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नंबर 1184 में पहुंचने हेतु लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 40x4= 160 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1184 में आने जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीया का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीया का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.30 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 18–07–2023 के प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1184 रकबा 1.59 है. में जाने के लिए मौका जांच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 में नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नंबर 1182 में से 4 मीटर चौड़ाई में 160 वर्गमीटर रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 160 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 56288/–रू. (अक्षरे छप्पन हजार दो सौ अठासी रूपये) प्रार्थीया तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवाये। तहसीलदार, खेतड़ी भूमि खसरा नंबर 1182 के प्रभावित खातेदारान को प्रतिकार की राशि का भुगतान करेंगे। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 1182 के रकबे में से नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की बाबत 160 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक ..16.10.2025...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.30 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested